


झारखण्ड सरकार  
परिवहन विभाग  
भूतल, एफ.एफ.पी. भवन, धुर्वा, राँची

॥ प्रेस विज्ञप्ति ॥

मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार के आदेश संख्या-234/CS/Res, दिनांक-12.05.2021 के अनुसार "स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह" के तहत दिनांक-16.05.2021 के प्रातः 06:00 बजे से दिनांक-27.05.2021 के प्रातः 06:00 बजे तक राज्य में "Interstate and Intrastate bus transport shall be prohibited except for the buses specifically used by district administration." लागू रहेगा। इस क्रम में सभी 'अन्तर्राज्यीय' तथा 'राज्य के अन्दर' चलने वाली बसों का परिचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।

उक्त के आलोक में सभी यात्रियों/बस चालकों/वाहन मालिकों को निदेश दिया जाता है कि वे उक्त आदेश का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

  
सचिव, 13/05/2021  
परिवहन विभाग।